The Building and Other Construction Workers Welfare Cess (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 28 of 2018

Keyword(s):
Building, Construction Workers, Welfare Cess, Board

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या–120

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मई, 2018

बैशाख 28, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1087 / 79-वि-1–18-1(क)-29-2017

लखनऊ, 18 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 09 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन)

अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 28 सन् 1996 की धारा 3 का संशोधन

2—भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**:— इस उपधारा के अधीन उपकर के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ, सन्निर्माण की लागत में, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में किसी नियोजक द्वारा उपगत समस्त व्यय सम्मिलित होगा किन्तु उसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे—

(क) भूमि की लागत;

(ख) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन किसी कर्मकार या उसके आश्रितों को संदत्त या संदेय कोई प्रतिकर;

(ग) ऐसे संयंत्र, उपस्कर, जो सन्निर्माण क्रियाकलाप के भाग न हों, को लगाये जाने या उन्नत किये जाने पर उपगत व्यय;

(घ) चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार हेतु प्रयुक्त मशीनें यथा एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, डायलिसिस मशीन आदि।"

उद्देश्य और कारण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने के लिये उपबंध करने हेतु भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1996) अधिनियमित किया गया था।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रयोजन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी कर्मचारी द्वारा उपगत सन्निर्माण लागत के अनधिक दो प्रतिशत किन्तु अन्यून एक प्रतिशत की दर पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा। इस उपधारा में उपकर के निर्धारण हेतु भूमि के मूल्य, किसी कर्मकार या उसके उत्तराधिकारियों को संदत्त प्रतिकर, एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन और डायलिसिस जैसे मशीनों, जो उपकर के निर्धारण से छूट प्राप्त हैं, सहित उत्पादन तथा उन्नत किये जाने वाले संयंत्रों और उपस्करों के आगणन का उपबंध नहीं है। मुकदमेबाजी के दबावों को कम करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धारा का, उसमें स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बंध में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1087(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-29-2017

Dated Lucknow, May 18, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhawan aur Anya Sannirman Karmkar Kalyan Upkar (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 09, 2018.

THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS' WELFARE CESS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. ACT NO. 28 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In section 3 of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996, in sub-section (1) the following explanation shall be *inserted* at the end, namely:- Amendment of section 3 of Act no. 28 of 1996

"*Explanation*:- For the purpose of levy of cess under this sub-section cost of construction shall include all expenditure incurred by an employer in connection with the building or other construction work but shall not include -

(a) cost of land;

(b) any compensation paid or payable to a worker or his dependents under the Employees's Compensation Act, 1923;

(c) expenditure incurred on such plant, equipments installed or upgraded which are not part of construction activity;

(d) machines such as MRI, CT Scan, Dialysis machine *etc.* used for treatment of patients in hospitals."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (Act no. 28 of 1996) was enacted to provide for the levy and collection of a cess on the cost of construction incurred by employers with a view to augmenting the resources of the Building and Other Construction Workers' Welfare Boards constituted under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

Sub-section (1) of section 3 of the said Act provides that there shall be levied and collected cess for the purposes of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 at such rate not exceeding two per cent but not less than one per cent of the cost of constructions incurred by an employer, as the Central Government may, by notification in the official *Gazette*, from time to time specify. This sub-section does not provide to take into account the value of land, compensation paid to any worker or his heir for the assessment of the cess, the plant and equipment for the production and upgradation work including the machines like MRI, CT Scans and Dialysis machines, *etc.* which are exempted from the assessment of the cess. With a view to lessen the pressure of litigation, it has been decided to amend the said section in its application to Uttar Pradesh by inserting an explanation therein.

The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 75 राजपत्र–2018–(186)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 सा0 विधायी–2018–(187)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)